

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेंट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 28/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री पार्थ पुत्र विरेन्द्र शर्मा निवासी बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
ए-642 बापू नगर, न्यू पी एण्ड टी अधिकारी, भीलवाड़ा
कॉलोनी, भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :- प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय


दिनांक : 27.04.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के विरुद्ध आरटीआई पोर्टल पर प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत एक आवेदन दिनांक 03.02.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित किया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.04.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। अपीलार्थी द्वारा जरिये डाक पत्र प्रेषित कर वांछित सूचना की आवश्यकता नहीं होने से उक्त अपील पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 27.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।


(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेंट अधिकारी
भीलवाड़ा
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा